भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1443

5 दिसम्‍बर, 2011 के लिए प्रश्‍न

**एफसीआई द्वारा संशोधित दरें लागू किया जाना**

1443. श्री नंदी येल्लैया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा समझौते के पारस्परिक सहमति पर आधारित नियमों और शर्तों के अनुरूप अन्य राज्यों के भण्डारण निगमों और केन्द्रीय भंडारण निगमों की तरह आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम (एपीएसडब्ल्यूसी) के प्रति भेदभाव समाप्त करने और वहां 1 अप्रैल, 2002 से संशोधित दरें लागू करने हेतु भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में तुरन्त कार्रवाई की जा सकी है और क्या एफसीआई को गारंटी की शेष अवधि हेतु मौजूदा संविदा को मानने का निदेश दिया जा सका है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0वी0 थॉमस)

**(क),(ख) और (ग):** 7 वर्षीय गारंटी देकर आंध्र प्रदेश राज्‍य भंडारण निगम से किराए पर लिए गए गोदामों हेतु भंडारण प्रभारों के निपटान के मुद्दे को भारतीय खाद्य निगम और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच तय कर लिया गया था। यह सहमति हुई थी कि 1-4-2002 से गारंटी अवधि पूरी होने तक आंध्र प्रदेश राज्‍य भंडारण निगम को 1.79 रुपया प्रति 50 किलोग्राम बोरी का संशोधित किराया दिया जाए। भारतीय खाद्य निगम ने भुगतान रिलीज करने के अनुदेश दे दिए हैं।

\*\*\*\*\*\*\*